निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर स्थित 120 अमरुद के वृक्षों की फसल को ठेके पर उठाये जानें हेतु प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक– 06.03.2024 को समय 4.30 बजें जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी,। नीलामी में भाग लेनें वाले इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

निविदा की शर्ते व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरुद की बोली में सम्मिलित होनें से पहले धरोहर धनराशि 10000/–रु0 अनुभाग नजारत में कैशियर के पास जमा करनी होगी।

2. प्रक्रिया में भाग लेनें वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय नें दण्डित न किया हो।

3. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 भाग धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि दो दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

4. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करनें पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।

5. नीलामी की अन्तिम स्वाकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा की जाएगी।

6. नीलामी बिना कोई कारण बताये स्थगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।

7. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरुद की फसल के उपयोग की अवधि दिनॉक 31.03.2025 को सवतः समाप्त हो जाएगी तथा उसके तुरन्त बाद सम्बन्धित अध्यासी द्वारा अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–27.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

27/2/24

(रवि यादव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–4
कानपुर देहात।